

परियोजना का नाम :-

विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत देघाट-नागचूलाखाल से चन्थरखाड़ी-कलियालिगुड-झीपा बैण्ड हेतु मोटर मार्ग का निर्माण। (2.500किमी.) (1.485है0)

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्त्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशानघाट, कब्रस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।



अपर सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत



अधिशोषी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत